न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 103/2015/अपील

इन्द्रलाल पुत्र गोपीराम जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 3 नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 3997 दिनांक 17.01.2013 द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री सागरमल धायल

निर्णय   दिनांकः–21.10.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि विवादित खसरा नम्बर 400/1 रकबा 1.1268 है0 तन कस्बा नीमकाथाना में स्थित है। उक्त आराजी अपीलांट व अन्य कृषकगण के खातेदारी की भूमि रही है जिसमें से 0.7333 है0 भूमि नगर पालिका नीमकाथाना की खातेदारी में दर्ज होकर गै.मु. आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है व शेष 0.3975 है0 भूमि खातेदारान चिमनसिंह आदि बदस्तुर रही। रेल्वे विस्तार हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 400/1 रकबा 0.3975 है0 में से भूमि 0.0094, 0.0284, 0.0710 हैक्टर कुल 0.1088 है0 की मुआवजा अदा करने की आज्ञा पारित की है। योग्य तहसीलदार ने आज्ञा जेर अपील नामान्तकरण स्वीकार करते समय भूलवश अथवा लापरवाहीवश पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 3997 के कालम संख्या 11 में भारतीय रेल्वे विभाग के हक में 0.1088 है0 के स्थान पर अपीलांट व अन्य का समस्त 0.3935 है0 रकबा अर्थात सम्पूर्ण रकबा ही दर्ज कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना की आज्ञा का अवलोकन किए बिना ही पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को देखे बिना ही अवाप्ति आज्ञा के विपरीत अपीलांट की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य सहकृषकगण के कब्जे व अवाप्त भूमि के कब्जे संबंधी जांच किए बिना ही अपनी आज्ञा जेर अपील पारित करने में गलती की है। भूमि अवाप्ति अधकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 400/1 रकबा 0.3975 हैक्टर में से केवल 0.1088 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की है फिर भी पटवारी हल्का ने सम्पूर्ण रकबे का ही कालम संख्या 11 में अंकन कर दिया व पटवारी हल्का की गलत कार्यवाही को देखे बिना ही अधीनस्थ तहसीलदार ने अपनी आज्ञा केवल शब्द स्वीकृत है लिखकर आज्ञा पारित करने में गलती की है। अपीलांट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 400/1 में अपने हक हिस्से की भूमि में चारदिवारी व मकानात निर्माण कर रखे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जांच नही की एवं अपीलांट व अन्य सह कृषको की सुनवाई हेतु कोई नोटिस व सूचना नही एवं अपीलांट को

Web Copy - Not Official

साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 17.01.2013 को तस्दीक नामान्तकरण संख्या 3997 ग्राम नीमकाथाना खसरा नम्बर 400/1 रकबा 0.3935 है0 के सम्बंध तक खारिज फरमाया जाकर अवाप्तशुदा रकबा 0.1088 है0 तक ही स्वीकृत फरमाये जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी व तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश की पालना में तस्दीक किया हुआ है। अपीलाधीन नामान्तकरण मूल खसरा नम्बर 400/1 रकबा 1.1268 किस्म बंजड़ अव्वल में से खसरा नम्बर 400/1/2 रकबा 0.3935 भारतीय रेल्वे के नाम एवं खसरा नम्बर 400/1/1 रकबा 0.733 चिमनसिंह वगै0 बदस्तुर के नाम से तस्दीक किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि अवाप्ति अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित अवार्ड आदेश के मुताबिक खसरा नम्बर 400/1 में से अवार्ड आदेश के कॉलम संख्या 6 में अधिग्रहित रकबा 0.3935 अंकित है एवं कॉलम संख्या 8 में अर्जित रकबा 0.0094, 0.0284, 0.0710 कुल 0.1088 है0 अंकित किया हुआ है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा हल्का पटवारी नीमकाथाना को अवाप्तशुदा भूमियों का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु जारी पत्र दिनांक 02.06.11 के सलंग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी नीमकाथाना द्वारा भारतीय रेल्वे के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने वाली भूमि का विवरण की सूची प्रस्तुत की गई जिसमें खसरा नम्बर 400/1 के कुल रकबा में से 0.3935 है0 भारतीय रेल्वे के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने बाबत अंकित किया हुआ है। चूंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा पारित अवार्ड आदेश में भूमि खसरा नम्बर 400/1 में से अधिग्रहित रकबा 0.3935 है0 एवं अर्जित रकबा कुल 0.1088 है0 का जारी किया हुआ है एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा हल्का पटवारी को अवाप्त शुदा भूमि का भारतीय रेल्व के नाम नामान्तकरण दर्ज करने हेतु जारी सूची में खसरा नम्बर 400/1 कुल रकबा 0.3935 है0 अंकित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा पारित अवार्ड आदेश एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा हल्का पटवारी को अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने सम्बंधी रकबे में भिन्नता प्रकट होती है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 3997 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि के सम्बंध में पारित अवार्ड आदेश एवं भारतीय रेल्वे के नाम होने वाले नामान्तकरण के सम्बंध में राजस्व रिकॉर्ड व वास्तविक अवाप्त/अर्जित रकबे की भूमि का ही नामान्तकरण करने सम्बंधी कार्यवाही पुनः कर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official